## न्यायालय-ए०के०गप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 700795 / 16

संस्थित दिनाँक-14.12.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

## विरूद्ध

विजयसिंह पुत्र रमेशसिंह तोमर उम्र 35 साल निवासी लोधे की पाली, थाना गोहद चौराहा

.....अभियुक्त

## \_\_:: निर्णय ::— {आज दिनांक 06.09.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 तथा मोटरयान अधि० की धारा 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.07.16 को करीब 10 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत चंदोखर रोड ग्राम लोदे की पाली पंचायत भवन के पास वाहन क्रमांक एम०पी० 30 एम 3806 सोनालिका टेक्टर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना वैध जोखिम बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर चलाया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिवि० की धारा 337 एवं 338 का उपशमन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भादिवि० एवं मोटरयान अधि० की धारा 146/196 के अधीन निर्णय पारित किया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 09.07.16 को फरियादी रामिकशुन अपने पिता सांवले तथा चचेरे भाई सियाराम के गांव चंदोखर से सौदा लेने गोहद चौराहे पर आए थे और सामान क्रय कर वापस जा रहे थे। जैसे ही चंदोखर रोड लोधे की पाली पंचायत भवन के पास पहुंचे तभी चंदोखर तरफ से टेक्टर एम0पी0 30 एम 3806 सोनालिका का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और फरियादी के पिता को टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0 154/16 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाए जाने का कथन किया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.07.16 को करीब 10 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत चंदोखर रोड ग्राम लोदे की पाली पंचायत भवन के पास वाहन कमांक एम0पी0 30 एम 3806 सोनालिका टेक्टर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को बिना वैध जोखिम बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर चलाया ?

## <u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामिकशन अ०सा० 1, सांवले अ०सा० 2, सियाराम अ०सा० 3, देवसिंह अ०सा० 4, विनोद अ०सा० 5, गोपसिंह अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेत् विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. आहत सांवले अ0सा0 2 घटना एक साल पहले 10—11 बजे की बताते हुए कथन करते हैं कि वे चौराहे पर काम से आए थे और उनके साथ उनका लड़का रामिकशन भी था। जब वे लोग पैदल पैदल अपने गांव लोधे की पाली के सामने पहुंचे तभी एक टेक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे वे बेहोश हो गए थे। साक्षी कथित टेक्टर का नंबर व चालक के संबंध में कथन करने में अस्मर्थ है। साक्षी उसका इलाज गोहद में होना बताता है। फरियादी रामिकशन जो आहत का पुत्र भी है, यह कथन करता है कि वह अपने पिता के साथ चौराहे पर आया था और पैदल पैदल गांव लोधे की पाली के सामने पहुंचे तो एक सोनालिका टेक्टर ने उनके पिता को टक्कर मार दी जिससे पिता जमीन पर गिर गए और उन्हें सीने तथा चेहरे पर चोटें आई। साक्षी टेक्टर चालक के मौके से माग जाने का कथन करते हैं तथा टेक्टर का नंबर न लिखाए जाने का कथन करते हुए यह बताते हैं कि सोनालिका टेक्टर लोगों ने बता दिया था और उन्होंने पुलिस को वहीं लिखा दिया। मुख्य परीक्षण में कथित टेक्टर का नंबर बताने में अस्मर्थ हैं। प्राथमिकी में उल्लेखित घटना का अन्य साक्षी सियाराम अ0साо 3 अमियोजन के मामले का कोई कथन नहीं करता और उसके समक्ष कोई भी घटना घटित होने का कथन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता। इस प्रकार से प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

- 8. प्रकरण में साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में कथित सोनालिका टेक्टर एम0पी0 30 एम 3806 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने के संबंध में सुझाव दिया गया तो साक्षियों रामिकशन अ0सा01, सांबले अ0सा0 2 ने उक्त सुझाव से इंकार किया। यहां तक कि आहत सांवले अपने अभिसाक्ष्य में कथित टेक्टर के आराम से चलने के संबंध में कथन करते हैं। उक्त दोनों ही साक्षी अभियुक्त के कथित टेक्टर के चालक होने के संबंध में अभिसाक्ष्य में इंकार करते हैं। फरियादी रामिकशन अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि गोहद क्षेत्र मे कई सोनालिका टेक्टर होंगे। ऐसी दशा में अभियुक्त के घटना में संलिप्त होने तथा कथित टेक्टर सोनालिका कुठ एम0पी0 30 एम 3806 के द्वारा दुर्घटना कारित होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है।
- 9. अनुसंधानकर्ता विनोद अ०सा० 5 दिनांक 21.07.16 को थाने पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत करने पर कथित टेक्टर को जब्त किए जाने का कथन करते हैं, जब्ती पत्रक प्र0पी० 7 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को एवं जब्ती स्थल पर कोई जब्ती नहीं हैं ऐसी दशा में कथित टेक्टर की संलिप्तता के संबंध में संदेह है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि कथित टेक्टर से आहत सांवले की दुर्घटना कारित हुई तो भी अभियुक्त उसे चला रहा था, इस संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। प्रमाणीकरण कर्ता वाहन स्वामी देवसिंह अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.07.16 को टेक्टर घर पर रखे होने तथा दिनांक 21.07.16 को टेक्टर पुलिस द्वारा रोक लिए जाने तथा पुलिस द्वारा कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए जाने का कथन करते हैं। वाहन स्वामी घटना स्थल पर मौजूद था, ऐसा अभियोजन का मामला भी नहीं हैं। ऐसे में कथित टेक्टर के घटना में संलिप्त होने और अभियुक्त द्वारा सुसंगत समय व स्थान पर उपेक्षा तथा उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
- 10. प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता रामिकशन अ०सा० 1 तथा आहत सांवले अ०सा० 2 दोनों ही क्रमशः प्राथमिकी प्र०पी० 1 तथा अपने अपने पुलिस कथन प्र०पी० 3 व 4 के विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर वैसे कथन व तथ्य लिखाए जाने से इंकार किए हैं। साक्षियों द्वारा उनके पुलिस कथन धारा 161 दप्रस में सारवान विरोधाभास एवं लोप होना बताए हैं। यह स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टांन्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में

भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी रामिकशन अ0सा01 द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दप्रस के कथनों कमशः प्र0पी0 3 एवं सांवले के पुलिस कथन प्र0पी0 4 में साक्षियों द्वारा तात्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

- 11. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के दस्तावेज मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12. अभियुक्त के पूर्व के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। दप्रस की धारा 437 ए के अधीन प्रस्तुत जमानत मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि हो तो इस संबंध में प्रमाणपत्र बनाया जावे
- 14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

प्रके० गुप्ता न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश